मध्य प्रदेश ऐनेटामी (चीर-फाड़) अधधधनयम, 1954

[1954 का क्रमाांक 16]

धिषय-सूची

Stream
प्रारधभभक
1. सांधिप्त नाम, धिस्तार और प्रारभभ
2. पररभाषाएँ
3. लाि◌ाररस शरीर के धिषय में सांशय अथिा धिि◌ाद राज्य शासन द्वारा धनयुक्त अधधकारी को सौंपा जायेगा
4. राज्य शासन की धारा 5 के अन्तगगत कायग करने हेतु अधधकाररयों को प्राधधकृत करने की शधक्त
5. लाि◌ाररस शरीर चीड़-फाड़ परीि◌ण हेतु प्रयुक्त होंगे
6. दण्ड
7. लाि◌ाररस शरीर का कब्जा प्राप्त करने में सहायता करने हेतु पुधलस और अन्य अधधकारी का कर्त्तव्य
8.अधधधनयम के अन्तगगत कायग करने ि◌ाले व्यधक्त का बचाि◌
9.अधधकारी लोक सेि◌क होंगे
10.धनयम

[राज्यपाल की स्ि◌ीकृधत 12 अप्रैल, 1954 को प्राप्त हुई, स्ि◌ीकृधत का प्रथम प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र में23 अप्रैल,1954 को हुआ]

मृत व्यधक्तयों के लाि◌ाररस शरीर धचककत्सालयों और आयुर्विज्ञान एिां धशिण सांस्थाओं को चीर-फाड़ धिश्लेजषण के अधभप्राय से आपूर्वत का प्राि◌धान करने हेतु अधधधनयम

प्रारधभभक- जबकक मृत व्यधक्तयों के लाि◌ाररस शरीर धचककत्सालयों और आयुर्विज्ञान एिां धशिणसांस्थाओं को चीरफाड़ धिश्ल्◌ेि◌रषणके अधभप्राय से आपूर्वत का प्राि◌धान करना सामधयक है:

यह एतद् द्वारा धनम्नरधलधखत में अधधधनयधमत ककया जाये :

1. सांधिप्त नाम, धिस्तार और प्रारभभ- (1) यह अधधधनयम मध्य प्रदेश ऐनेटामी (चीर-फाड़)अधधधनयम 1954 कहलायेगा।

(2) इसका धिस्तार ि◌ेत्र सभपूणग मध्य प्रदेश होगा।

(3) यह मध्य प्रदेश के ऐसे समस्त ि◌ेत्रों में प्रभाि◌शील रहेगा धजनमें ि◌ह मध्य प्रदेश धिधधयों काधिस्तारण अधधधनयम, 1958 (1958 का क्रमाांक 23) के प्रारभभ के तुरन्त पूि◌ग प्रभाि◌शील था और ऐसेअन्य ि◌ेत्रों में औरऐसे कदनाांक को प्रभाि◌शील होगा जो राज्य शासन राजपत्र में अधधसूचना द्वारा धनदेधशतकरे।

2. पररभाषायें- इस अधधधनयम में, जब तक धिषय अथिा सन्दभग में अन्यथा अपेधित न हो-

(अ) "स्ि◌ीकृत सांस्था" से तात्पयग है राज्य शासन द्वारा चीर-फाड़ परीि◌ण और धिश्लेहषण करने हेतु स्ि◌ीकृत कोई धचककत्सालय अथिा आयुर्विज्ञान अथिा धशिण सांस्था;

(आ) "प्राधधकृत अधधकारी" से तात्पयग है ऐसा अधधकारी जो इस अधधधनयम के अन्तगगत प्राधधकृत अधधकारी के कायो का धनष्पादन करने हेतु राज्य शासन द्वारा प्राधधकृत ककया जाये;

(इ) "धिधहत" से तात्पयग है इस अधधधनयम के अन्तगगत बनाये गये धनयमों द्वारा धिधहत;

(ई) "लाि◌ाररस शरीर" से तात्पयग है ककसी मृत व्यधक्त का शरीर लाि◌ाररस धजसके धलये उसके धनकट सभबधन्धयों में से कोई अथिा उसकी जाधत, समुदाय और धमग का कोई व्यधक्त, ऐसी अिधध में जो धिधहत की जाये दाि◌ा न करे।

3 लाि◌ाररस शरीर के धिषय से सांशय अथिा धिि◌ाद राज्य शासन द्वारा धनयुधक्त अधधकारी कोसौंपा जायेगा – यकद कोई सांशय अथिा धिि◌ाद उत्पन्न होता है कक ककसी मृत व्यधक्त का शरीर लाि◌ाररसशरीर है, तो मामला राज्य शासन द्वारा इस हेतु ककसी ि◌ेत्र के धलए अधधसूचना द्वारा धनयुक्त ऐसेअधधकारी को सौंपा

जायेगा और ऐसे अधधकारी का धनणगय अधन्तम और धनणागयक होगा।

4. राज्य शासन की धारा 5 के अन्तगगत कायग करने हेतु अधधकाररयों को प्राधधकृत करने की शधक्त- राज्य शासन अधधसूचना द्वारा ककसी िेत्र हेतु अथिा उसके ककसी भाग हेतु, धजसमें यह अधधधनयम लागू होता है, एक अथिा अधधक अधधकाररयों को प्राधधकृत कर सकता है धजनको धारा 5 के अन्तगगत ररपोटग कीजायेगी और जो उक्त धारा के अन्तगगत कायग करने हेतु सिम होंगे।

5. लािाररस शरीर चीर-फाड़ परीिण हेतु प्रयुक्त होंगे- (1) यकद कोई व्यधक्त राज्य शासन द्वाराअथिा ककसी स्थानीय प्राधधकरण द्वारा स्थाधपत अथिा सांचाधलत ककसी धचककत्सालय में धचककत्सा केअन्तगगत है और िह ऐसे धचककत्सालय में मृत हो जाता है और उसका शरीर लािाररस है तो ऐसेधचककत्सालय के पदासीन प्राधधकारी न्यूनतम व्यािहाररक धिलभब करके इस तथ्य की ररपोटग प्राधधकृतअधधकारी को देंगे और ऐसा अधधकारी तब उस लािाररस शरीर को चीरफाड़ परीिण और धिश्लेकषण केअधभप्राय से ककसी स्िीकृत सांस्था के पदासीन प्राधधकाररयों को सौंप देगा।

(2) यकद कोई व्यधक्त उपधारा (1) में उधललधखत ककसी धचककत्सालय में अथिा बन्दीगृह में मृत होजाये और उसका शरीर लािाररस है तो ऐसे धचककत्सालय अथिा बन्दीगृह के पदासीन अधधकारी न्यूनतमव्यािहाररक धिलभब करके इस तथ्य की ररपोटग प्राधधकृत अधधकारी को देंगे और उक्त अधधकारी लािाररसशरीर की उपधारा (1) में धिधहत अधभप्राय हेतु ककसी स्िीकृत सांस्था के पदासीन प्राधधकाररयों को सौंपदेगा।

(3) जहाँ कोई व्यधक्त ककसी िेत्र का स्थाई धनिासी न हो जहाँ उसकी मृत्यु हुई हो ऐसे िेत्र केलोक स्थान में मृत हो जाये और उसका शरीर लािाररस हो तो प्राधधकृत अधधकारी शरीर का कब्जा लेगाऔर उपधारा (1) में धनर्ददष्ट प्रािधानों के धलये मान्य की गई सांस्था के प्राधधकाररयों को सौंप देगा।

6. दण्ड- जो कोई भी इस अधधधनयम द्वारा आज्ञाधपत रूप के धसिाय ककसी लािाररस शरीर काधनपटारा करता है अथिा धनपटारा करने में अिप्रेररत करता है अथिा ककसी स्िीकृत सांस्था के ककसीपदासीन प्राधधकारी को अथिा प्राधधकृत अधधकारी को सौंपने, कब्जा लेने, हटाने अथिा इस अधधधनयम में

धिधहत अधभप्राय हेतु ऐसे शरीर का उपयोग करने में बाधा डालता है तो उसे, दोष धसधद्ध पर, 5 सौ रूपयेतक के अथगदांड से दांधडत ककया जायेगा।

7. लािाररस शरीर का कब्जा प्राप्त करने में सहायता करने हेतु पुधलस एिां अन्य अधधकाररयों का

कर्त्तव्य- पुधलस और लोक स्िास्थ्य धिभागों के समस्त अधधकारी और ककसी स्थानीय सांस्था की सेिा मेंसमस्त अधधकारी और समस्त ग्राम अधधकारी ककसी लािाररस शरीर का कब्जा प्राप्त करने में इसअधधधनयम के अन्तगगत ककसी प्राधधकारी अथिा प्राधधकृत अधधकारी की सहायता करने के धलए, सभीयुधक्तयुक्त कदम उठाएांगे।

8. इस अधधधनयम के अन्तगगत कायग करने िाले व्यधक्तयों का बचाि- इस अधधधनयम के अन्तगगत

ककसी सद्भािना पूिगक ककये गये कायग अथिा करने के अधभप्राय हेतु ककसी व्यधक्त पर कोई िाद,अधभयोजन अथिा अन्य िैधाधनक कायगिाही नहीं चलेगी।

9. अधधकारी लोक सेिक होंगे- इस अधधधनयम के अन्तगगत कायग करने हेतु धनयुधक्त अथिा

प्राधधकृत समस्त अधधकारी, भारतीय दण्ड सांधहता, 1860 (1860 का क्रमाांक 45) की धारा 21 के अथोमें लोक सेिक माने जािेंगे।

10. धनयम (1) राज्य शासन, अधधसूचना द्वारा इस अधधधनयम के अधभप्रायों को कायगरूप देने हेतुधनयम बना सकेगा।

(2) धिधशष्ट और पूिगगामी शधक्त की व्यापकता पर प्रधतकूल प्रभाि डाले धबना ऐसे धनयमों में धनम्नप्रािधान हो सकेगा।

(अ) अिधध धजसमें ककसी मृत व्यधक्त के शरीर का दािा ककया जा सकेगा; और

(आ) मृत शरीरों की सुरिा ।

धनयम

अन्तगगत मध्य प्रदेश ऐनेटामी (चीर-फाड़) अधधधनयम, 1954

अधधसूचना क्रमांक 5580/1593/सत्रह /धचककत्सा/ चार कदनांक 24 कदसभबर,1966

1. यह धनयम मध्य प्रदेश ऐनेटामी धनयम, 1966 कहलायेंगे।

2. इन धनयमों में, जब तक सांदभग से अन्यथा अपेधित न हो-

(अ) "अधधधनयम" से तात्पयग है मध्य प्रदेश ऐनेटामी अधधधनयम, 1954

(आ) "लाििाररस मृत शरीर" से तात्पयग है ककसी मृत व्यधक्त का शरीर धजसके धलए उसके धनकट सभबधन्धयों में से ककसी के द्वारा अथिा उसकी जाधत, समुदाय और धमग के ककसी व्यधक्त द्वारा उसकी मृत्यु के 72 घन्टे के अन्दर कोई दािा न ककया जाये।

3. (1) पुधलस, आयुर्विज्ञान और लोक स्िास्थ्य धिभाग काप्रत्येक अधधकारी और कमगचारी औरककसी स्थानीय प्राधधकरण की सेिा में प्रत्येक अधधकारी और कमगचारी और प्रत्येक ग्राम अधधकारी औरकमगचारी धजसे ककसी ऐसे व्यधक्त की ककसी िेत्र में ककसी साििगजधनक स्थान पर मृत्यु की जानकारी धमलतीहै धजससे उसका कोई स्थायी धनिास-स्थान नहीं है, तो िह इस तथ्य की ररपोटग न्यूनतम व्यािहाररकधिलभब करके धनकटतम पुधलस थाने के पदासीन अधधकारी को देगा।

(2) उपधनयम (1) के अन्तगगत ररपोटग की प्राधप्त पर पुधलस थाने का पदासीन अधधकारी, मृतशरीर को सड़ने से सुरधित करने हेतु धचककत्सालय में पह ाुंचाने की व्यिस्था करेगा और तथ्य की ररपोटगप्राधधकारी को देगा।

(3) उपधनयम (2) में ककसी बात को होते हुए भी उस ग्राम के पटेल अथिा सरपांच का, धजसमेंअथिा धजसके समीप मृत शरीर पाया जाये, यह कर्त्तव्य होगा कक िह मृत शरीर को सड़ने से सुरधित करने हेतु धनकटतम धचककत्सालय में पह ुचाने की व्यिस्था करे और इस तथ्य की ररपोटग धनकटतम पुधलसथाने के पदासीन अधधकारी को भी दे।

(4) मृत शरीर को धचककत्सालय में पह ुचाने में आये खचग का धबल धचककत्सालय के पदासीन अधधकारी को भेजा जायेगा जो उसका भुगतान करेगा। उक्त अधधकारी, मृत शरीर को उसके सांरिण मेंधचककत्सालय लाये जाने और उसे सुरधित रखने की सूचना प्राधधकृत अधधकारी को भी देगा।

4. (1) जहाँ कोई व्यधक्त ककसी धचककत्सालय में अथिा बांदीगृह में मृत हो जाता है तो ऐसेधचककत्सालय अथिा बांदीगृह का पदासीन अधधकारी परन्तु इस तथ्य की सूचना रोगी अथिा बन्दी केररकाडग में उधललधखत उसके धनकटतम सांबांधी को देगा। यकद उक्त सांबांधी 72 घन्टे के अन्दर शरीर के धलए दािा नहीं करता तो मृत शरीर को धारा 5 में दी गई रीधत में धनपटा कदया जायेगा।

(2) उपधनयम (1) के पालन में, ककसी दािे की प्राधप्त तक, यकद कोई हो, मृत शरीर को सड़ने से सुरधित करने हेतु धचककत्सालय में अथिा आयुर्विज्ञान में प्रधशिण सांस्था में जैसी भी धस्थधत हो, पह ुचाकदया जायेगा।

(3) यकद उपधनयम (1) में धिधहत अिधध में ऐसे शरीर के धलए दािा नहीं ककया जाता तो प्राधधकारी अधधकारी अधधधनयम की धारा 5 में दी गई रीधत में शरीर का धनपटारा करने हेतु अग्रसरwill be.

(4) यकद स्िीकृत सांस्थाओं में से ककसी को चीड़-फाड़ परीिण और धिश्लेनषण हेतु मृत शरीर कीआिश्यकता न हो तो सभबधन्धत प्राधधकृत अधधकारी उसे िैधाधनक दािेदार को सौंप देगा अथिा यकद कोईऐसा दािा प्रस्तुत नहीं ककया जाता तो िह मृत शरीर का अधि सांस्कार अथिा दफनाने द्वारा धनपटारा करदेगा, जैसी भी धस्थधत हो।

5. ऐसा व्यधक्त जो अपने मृत शरीर को चीर-फाड़ प्रधशिण और धिश्लेधोषण हेतु समर्वपत करने की इच्छा रखता हो, अपनी इच्छा की सूचना धलधखत में सभबधन्धत धजले के प्राधधकृत अधधकारी को देगा।प्राधधकृत अधधकारी ऐसे समस्त समपगणों का ररकाडग इन धनयमों से सांलि प्रारूप में रखेगा।

6. (1) ककसी मृत शरीर के धिषय में ककसी सांशय अथिा धििाद से सांबांधधत धारा 3 के अन्तगगत कोई मामला उस धारा के अन्तगगत धनयुक्त अधधकारी को, धलधखत में आिेदन द्वारा सौंपा जायेगा और उक्तअधधकारी को व्यधक्तगत रूप में कदया जायेगा।

(2) उप-धनयम (1) के अन्तगगत ककसी आिेदन की प्राधप्त पर, धारा 3 के अन्तगगत धनयुक्त

अधधकारी, ऐसे अग्रेषण की प्राधप्त से दो कदन के अन्दर का कदनाांक सुनिाई हेतु तुरन्त धनयत करेगा औरतदनुसार पिकारों को सूधचत कर देगा।

(3) सांबांधधत पिकारों की सुनिाई के पश्चाोत्, राज्य शासन द्वारा अधधधनयम की धारा 3 केअन्तगगत धनयुक्त अधधकारी, ऐसी अधतररक्त जाँच कर सकेगा, जो िह मामले के धनपटारे हेतु उधचत समझेऔर अपना धनणगय सुनिाई के कदनाांक को देगा और उसका धनणगय अधन्तम एिां धनणागयक रहेगा।

7. प्राधधकृत अधधकारी लािाररस मृत शरीरों को सुरधित रखने हेतु बफग अथिा मुदागघरों मेंरखिाने की व्यिस्था करेगा ताकक उन्हें सड़ने से बचाया जा सके, जब तक कक—

(अ) धारा 3 के अन्तगगत धनणगय न कर कदया जाये;

(आ) उसे उसके ककसी सांबांधी, धमत्र अथिा सेिक को सौंप न कदया जाय; अथिा

(इ) उसे ककसी आयुर्विज्ञान सांस्था को चीर फाड़ परीिण अथिा धिश्लेमषण हेतु सौंप न कदया जाय।

8. इन धनयमों में की कोई बात ऐसे मामले में लागू नहीं होगी जहाँ मृत्यु शांकाप्रद पररधस्थधतयों मेंहुई हो और शरीर धचककत्सीय-धिधधक परीिण हेतु अपेधित हो। ऐसे मामले में यकद पुधलस ने स्ियां शरीरका कब्जा न धलया हो तो शरीर पुधलस को सौंप कदया जायेगा।

9. मध्य भारत पैथोलाजी एिां एनेटामी धनयम, 1956 और मध्य प्रदेश राज्य के ककसी िेत्र में इनधनयमों के प्रारभभ के तुरन्त पूिग प्रिृत्त् इन धनयमों के समकि अन्य कोई धनयम, एतद् द्वारा धनरधसत ककयेजाते हैं:

परन्तु प्राििधान यह है कक इस प्रकार धनरधसत धनयमों के अन्तगगत की गई कोई बात अथिा ककयागया कोई कायग, जब तक कक िह बात अथिा कायग इन धनयमों के ककसी प्राििधान के प्रधतकूल न हो, इनधनयमों के अन्तगगत की गई अथिा ककया गया माना जायेगा।

प्रारूप

(धनयम 5 देधखये)

ऐसे व्यधक्तयों का रधजस्टर जो अपने मृत शरीर को चीर–फाड़ परीिण और धिश्लेरषण के अधभप्रायों से अर्वपत करने की इच्छा रखते हैं

धजला..............................

क्रमाांक	व्यधक्त का नाम और पता जोअपने मृत शरीर को चीर-फाड़ धिश्ले.षण और परीिण के अधभप्राय हेतु अपगण करने की इच्छा रखता है	आिेदन कीप्राधप्त का कदनाांक	स्िीकृत सांस्था कानाम धजसे मृत शरीर भेजा जायेगा	मृत शरीरसौंपने काकदनाांक	रटप्पधणयाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)